न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 72/2021 Gcms No. 2021/188
दायरा तिथि : 25.08.2021
प्राथमिक डिक्री दिनांकः 28.02.2022 फाईनल डिक्री दिनांक 16-5-22

वादी :–
श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री भवानीसिंह जाति चारण
हाल निवासी मकान नंबर 92, ए ब्लॉक, सैक्टर नंबर–14
राजस्थान हास्पीटल के पास, उदयपुर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. वेरीशालसिंह पुत्र श्री भवानीसिंह जाति चारण
   निवासी किलाधारी वास, जैन मंदिर के पास बाली (कागडी वाले)
2. श्री श्रेणीदान सिंह पुत्र श्री भवानीसिंह जाति चारण
   निवासी किसान पेट्रेल पम्प के पीछे, फालना रोड, बाली जिला पाली (कागडी वाले)
3. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

उपस्थितिः–
1.श्री सोहनसिंह सोलंकी एवं अनामिका बागडी अभिभाषक............................. अभिभाषक वादी की ओर से
2. श्री ललितकुमार नायब तहसीलदार.....................पेरोकार सरकार

–:: निर्णय ::– दिनांक : 16-5-22

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। वादी ने ग्राम कागडी पटवारं हल्का धणी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 70/1 रकबा 6.56 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल लगान 25.28 रूपये संबध में वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के रेकर्ड में दर्ज वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/3,, 1/3 हिस्सा अनुसार बाई मिट,स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अपने वाद पत्र के समर्थन में वादीगण द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वर्णित भूमि की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 की प्रति एवं नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादीगण के सम्मन लेने से इन्कार की रिपोर्ट के साथ प्राप्त होने से न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.09.2021 से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के सम्मन प्रोपर तामील माने गये तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 बावजुद सम्मन तामील के वकालतन/असालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या–03 तहसीलदार, बाली विभाजन के वाद में फोरमल पक्षकार होने से इनका जवाबदावा का अवसर भी बंद करते हुये वादी पक्ष के अधिवक्ता की दलीलो को सुनने के पश्चात् वाद में वर्णित आराजी में रेकर्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बाइ मिट्स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश पारित किये गये। परन्तु आदेशिका दिनांक 22.09.2021 की अनुपालना में प्राथमिक डिक्री आदेश एवं डिक्री पर्चा लिपिकीय भूल से जारी नहीं हुआ। प्राथमिक डिक्री आदेश व डिक्री पर्चा जारी नहीं होने की वजह से तहसीलदार, बाली द्वारा आदेशिका दिनांक 22.09.2021 की पालना में विभाजन प्रस्ताव भी तैयार नहीं किये गये। जिससे दिनांक 28.02.2022 को वादी पक्ष के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र 152 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर आदेशिका दिनांक 22.09.2021 की पालना में प्राथमिक डिक्री आदेश व डिक्री पर्चा जारी कर तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट तलब किये जाने का अनुरोध किया गया। वादी पक्ष के अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली सुनवाई पर ली गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् पश्चात् धारा 151, 152 सी.पी.सी. के प्रावधानो अनुसार आदेशिका दिनांक 22.09.2021 के अनुसरण में वादग्रस्त भूमि ग्राम कागडी पटवार हल्का धणी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 70/1 रकबा 6.56 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल लगान 25.28 रूपये संबध रेकर्ड में दर्ज वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/3,, 1/3 हिस्सा अनुसार बाई मिट,स एण्ड बाऊण्डस के विभाजन की प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.02.2022 को जारी करते हुये तहसीलदार, बाली से विभाजन रिपोर्ट तलब की गई।

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली (राज.)

पेज लगातार...02

उपखण्ड अधिकारी
बाली,जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 72/2021 Gcms No. 2021/188

अनवान राजेन्द्रसिंह बनाम वेरीशालसिंह वगैरा

अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्राथमिक डिक्री आदेश की अनुपालना में तहसीलदार, बाली ने पक्षकारो के मध्य वादग्रस्त भूमि का विभाजन करते हुये अपने कार्यालय पत्रांक/भू.अ./2022/3417 दिनांक 02.05.2022 से निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई:-

क्र0 सं0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
01	राजेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति चारण सा. देह खातेदार	70/1	2.0266 हैक्टर	न.दो.	26.35	हरा रंग
		70/2	0.1600 हैक्टर	न.दो.	2.08	
	योग	02	2.1866 हैक्टर	न.दो..	28.43	
02	श्रेणीदान पुत्र भवानीसिंह जाति चारण सा.देह खातेदार **रहन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बाली**	70/3	2.1867हैक्टर	न. दो.	28.43	आसामानी
03	वेरीशालसिंह पुत्र भवानीसिंह कौम चारण सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा फालना	70/4	2.1867 हैक्टर	न.दो.	28.42	केसरिया

अपनी रिपोर्ट में तहसीलदार, बाली द्वारा वर्णित किया गया कि खातेदार राजेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह के हिस्से में नजरी नक्शा में खसरा नंबर 70/2 रकबा 0.16 हैक्टर भूमि अलग से दर्शायी गई है, मौके पर यह गै.मु. बेरा खुदा हुआ है जिस पर विद्युत कनेक्शन कटा हुआ है, यह बेरा वर्तमान में पडत हैं । यह बेरा तीनो खातेदारों के बीच में आपसी समझौते से राजेन्द्रसिंह के हिस्से में रखा गया हैं जिसका लिखत इकरारनामा साथ मे संलग्न हैं। विभाजन रिपोर्ट मौके पर तैयार की गई पक्षकार राजेन्द्रसिंह मौके पर उपस्थित हुये, प्रतिवादी श्रेणीदानसिंह एवं वेरीशालसिंह को सूचना देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं हुये।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रेकर्डेड खातेदारो के मध्य न्यायालय आदेशानुसार विभाजन करते हुये रिपोर्ट प्रस्तुत करने से वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील वादीपक्ष श्री सोहनसिंह सोलंकी व अनामिका वागडी द्वारा बहस में तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट से सहमति व्यक्त करते हुये इसी अनुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम कागडी पटवार हल्का धणी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 70/1 रकबा 6.56 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल लगान 25.28 रूपये संबध में तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2022/ 3417 दिनांक 02.05. 2022 से प्रषित रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है:-

क्र0 सं0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
01	राजेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति चारण सा. देह खातेदार	70/1	2.0266 हैक्टर	न.दो.	26.35	हरा रंग
		70/2	0.1600 हैक्टर	न.दो.	2.08	
	योग	02	2.1866 हैक्टर	न.दो..	28.43	
02	श्रेणीदान पुत्र भवानीसिंह जाति चारण सा.देह खातेदार **रहन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बाली**	70/3	2.1867हैक्टर	न. दो.	28.43	आसामानी
03	वेरीशालसिंह पुत्र भवानीसिंह कौम चारण सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा फालना	70/4	2.1867 हैक्टर	न.दो.	28.42	केसरिया

तहसीलदार,बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 25.28 रूपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, धणी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाली जिला पाली (राज.)
आई.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 16-5-22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned with CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 21 रूल 6, 7 जाबता दीवानी)

...त सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना, आई.ए.एस.

...सिंह पुत्र श्री भवानीसिंह जाति चारण
...सी मकान नंबर 92, ए ब्लॉक, सैक्टर नंबर–14
... हास्पीटल के पास, उदयपुर (राजस्थान)

बनाम

...दीगण :–
... वेरीशालसिंह पुत्र श्री भवानीसिंह जाति चारण
निवासी किलाधारी वास, जैन मंदिर के पास बाली (कागडी वाले)
... श्री श्रेणीदान सिंह पुत्र श्री भवानीसिंह जाति चारण
निवासी किसान पेट्रोल पम्प के पीछे, फालना रोड, बाली जिला पाली (कागडी वाले)
3. तहसीलदार (भूमिधारी) बाली जरिये राजस्थान सरकार

राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 72/2021 Gcms No. 2021/188
वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष व हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् ग्राम कागडी पटवार हल्का धणी तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 70/1 रकबा 6.56 हैक्टर किस्म नहरी दोयम कुल लगान 25.28 रूपये संबंध में तहसीलदार, बाली के कार्यालय पत्रांक/ भू0अ0/ 2022/ 3417 दिनांक 02.05.2022 से प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत निम्नानुसार विभाजन की फाईनल डिक्री जारी की जाती है–

क्र0 सं0	नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान	वि.वि.
01	राजेन्द्रसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति चारण सा. देह खातेदार	70/1	2.0266 हैक्टर	न.दो.	26.35	हरा रंग
		70/2	0.1600 हैक्टर	न.दो.	2.08	
	योग	02	2.1866 हैक्टर	न.दो.	28.43	
02	श्रेणीदान पुत्र भवानीसिंह जाति चारण सा.देह खातेदार **रहन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बाली**	70/3	2.1867हैक्टर	न. दो.	28.43	आसामानी
03	वेरीशालसिंह पुत्र भवानीसिंह कौम चारण सा. देह खातेदार **रहन बैंक ऑफ बड़ोदा शाखा फालना**	70/4	2.1867 हैक्टर	न.दो.	28.42	केसरिया

तहसीलदार,बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट व नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। कुल लगान राशि 25.28 रुपये के पांच गुणा राशि पर देय मुद्रांक पेश होने पर प्रकरण में नियमानुसार फाईनल डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री अनुसार रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, धणी को लिखा जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16-5-2022 को जारी किया गया।

मोहर
न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी
बाली, जिला - पाली (राज.)

(सुश्री ...)
उपखण्ड अधिकारी
आई.ए.एस.
बाली जिला-पाली (राज.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner